


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय(जिला पंचायत शाखा), धनबाद।

14वीं वित्त आयोग अन्तर्गत संविदा पर कनीय अभियंता(असैनिक) एवं लेखा
लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु

परीक्षा संबंधी आम सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 14वीं वित्त आयोग निमित्त विज्ञापन संख्या 2/2016-17 द्वारा संविदा पर कनीय अभियंता लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की दक्षता परीक्षा दिनांक 07.01.2017 एवं 08.01.2017 को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा ई-मेल पर भेजी गई उत्तर सामग्री जाँचोपरांत एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए कुल प्राप्त अंक का 50% वांछनीय योग्यता (उच्चतर योग्यता) हेतु 10 नम्बर तथा प्रत्येक 6 माह के अनुभव पर 1(एक) अंक (अधिकतम 5 वर्ष) तथा दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर Tabulating chart एवं सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक सूची तैयार की गई है। नियमानुसार सभी कॉलमों का योग सामान्य/ओबीसी के लिए 50% एवं SC/ST के लिए 40% लाना अनिवार्य है तथा कम्प्यूटर टेस्ट में 10 पूर्णांक में 4(अर्थात 40%) लाना अनिवार्य है। औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 के आलोक में नये प्रपत्र में आवसीय/जाति प्रमाण पत्र योगदान के समय देना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायगी। उक्त सूची में किसी को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 13.2.17 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी धनबाद के कार्यालय में दर्ज करा सकते है। निर्धारित तिथि के बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा।


13/2/17
उपायुक्त,
धनबाद।